प्रेस विज्ञप्ति
06.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने 05.06.2025 को श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप, ईडी ने डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, दस्तावेज आदि सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री जब्त की है। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने बैंक खाते में पड़ी 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अचल संपत्तियां (30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की) पाई गईं और उनकी पहचान की गई।

श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860, पीसी अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसीबी, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहयोगी कंपनियों गोवर्धन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री सिद्धदाता स्टील ट्यूब्स और श्री सुदर्शन ट्यूब्स को बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) द्वारा ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं। हालांकि, स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। फंड ट्रांसफर से पता चलता है कि फंड को निकालने के उद्देश्य से व्यक्तिगत खातों, शेल संस्थाओं या समूह संस्थाओं में विपथित किया गया। इस प्रकार, इन संस्थाओं ने अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप, खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे बैंक को 190 करोड़ रुपये (लगभग) का अनुमानित नुकसान हुआ।

आगे की जांच जारी है।

****